न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 19/07 राजस्व विविध

सुरजनसिंह पुत्र चंद्रसिह जाति जट सिख साकिन चक 5एसजेएम तहसील खाजुवाला

—प्रार्थी

: ब ना म :

श्रीकृष्ण लाल पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार साकिन मिठड़िया तहसील लूणकरणसर

—अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. श्री नरसाराम जाखड़ प्रार्थी के अधिवक्ता।
2. श्री आर.के. दास गुप्ता अप्रार्थी के अधिवक्ता।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 12.02.2020

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी को चक 44 केवाईडी के मुरब्बा नं. 101/21 तादादी 25 बीघा व मु.नं. 81/38 तादादी 24.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पुख्ता आवंटन किया गया है जबकि अप्रार्थी मिठड़िया का निवासी नहीं है। ना ही किसी प्रकार का रिकार्ड गांव मिठड़िया का उसके नाम है। प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाया है जो खारिज किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

3. तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी को चक 44 केवाईडी के मु.नं. 101/21 रकबा 25 बीघा व मु.नं. 81/38 रकबा 24 बीघा 10 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पुख्ता आवंटन किया गया लेकिन अप्रार्थी ग्राम मिठड़िया का निवासी नहीं है। अप्रार्थी ने गलत तथ्यो के आधार पर आवंटन कराया है जो विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय ने मु.सं. 170/94 निर्णय दिनांक 26.02.97 से अप्रार्थी का आवंटन खारिज कर दिया था जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी सं. 136/97 प्रस्तुत की जो दिनांक 08.08.2002 को माननीय राजस्व मण्डल ने निगरानी खारिज करते हुए जिला कलेक्टर महोदय का निर्णय यथावत रखा जिसके विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट सं. 140/2003 प्रस्तुत की गयी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.02.2007 को याचिका का निर्णय करते हुए उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित करने के आदेश किये। अतः पूर्व निर्णयो को यथावत रखते हुए अप्रार्थी को किया गया आवंटन खारिज किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौरान ए बहस कथन किया कि अप्रार्थी भूमिहीन कृषक है तथा राजस्थान का मूल निवासी है। अप्रार्थी को किया गया आवंटन पूर्व में खारिज किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। एक बार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी के ग्राम मिठडिया तहसील लूणकरणसर में नहीं रहने का तथ्य सही नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट क्षेत्राधिकार से परे अप्रार्थी की गैर हाजिर में की गयी है। अप्रार्थी का फोटो फार्म तहसीलदार से तस्दीक शुदा है। अप्रार्थी को पूर्व में बिना सुने आवंटन निरस्त किया गया है जो सही नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाकर अप्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखा जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। इस न्यायालय द्वारा जांच करने के पश्चात ही पूर्व निर्णय दिनांक 26.02.97 से आवंटन निरस्त किया है। प्रार्थी द्वारा तथ्यो को छिपाया गया है जहां तक एक पक्षीय आदेश पारित करने का प्रश्न है। प्रार्थी को उसके पते पर रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये है तथा पूर्व निर्णय प्रकरण के गुणावगुण पर ही पारित किया गया है। अतः इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व निर्णय दिनांक 26.02.97 को यथावत रखते हुए प्रश्नगत आवंटन चक 44 के वाईडी मु.नं. 101/21 तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड व मु.नं. 81/38 तादादी 24.10 बीघा अनकमाण्ड नियम विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जाना हम न्यायोचित पाते है।

7. उर्पयुक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए अप्रार्थी को आवंटित चक 44 के वाईडी मु.नं. 101/21 तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड व मु.नं. 81/38 तादादी 24.10 बीघा अनकमाण्ड को खारिज किया जाता है। तहसीलदार, राजस्व, खाजुवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां इस आदेश की प्रति के साथ लौटायी जावे।

8. आदेश आज दिनांक **12.02.2020** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर